झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

सं०सं०–8 / ज०सं०(नि०) विविध 15–20 / 2017 5422 / राँची, दिनांक– 19-12-17

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री रविन्द्र कुमार खलखो, (ID-CO24) सहायक अभियंता, जिला परिषद्, गढ़वा द्वारा अपराधिक षड़यंत्र कर, धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार का सहारा लेकर नौकरी प्राप्त किया गया है, जो कि एक संगिन जुर्म है, जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेखित है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री खलखो के विरूद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2016 के नियम–16 एवं 17 के अन्तर्गत विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2. श्री रविन्द्र कुमार खलखो से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री ददन चौबे (झा०प्र०से०, से०नि०) के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए श्री विश्वनाथ प्रसाद ताँती, अवर सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध के साथ

i) श्री ददन चौबे (झा०प्र०से०, से०नि०) टी०ए० डिवीजन बिल्डिंग, धुर्वा, राँची।

ii) श्री विश्वनाथ प्रसाद ताँती, अवर सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची

iii) श्री रविन्द्र कुमार खलखो, सहायक अभियंता, जिला परिषद्, गढ़वा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

14.12.17

सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग।

D:\MINZ\Letter\Sankalp\08_j.s (N) v_15_20_2017_(Draft).docx 1

ज्ञापांक –5422 – 2017/राँची, दिनांक– 19-12-17

प्रतिलिपि : अनुबंध की प्रति के साथ

i) श्री ददन चौबे (झा०प्र०से०, से०नि०) टी०ए० डिवीजन बिल्डिंग, धुर्वा, राँची।

ii) श्री विश्वनाथ प्रसाद ताँती, अवर सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची

iii) श्री रविन्द्र कुमार खलखो, सहायक अभियंता, जिला परिषद्, गढ़वा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2– जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में विभाग को समर्पित करेगें साथ ही साथ कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहेगें एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया संचालन पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करेंगें।

4– आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख/कागजात देखना चाहते हैं तो अद्योहस्ताक्षरी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा विलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनु०–यथोक्त।

14.12.17

सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक –5422/राँची, दिनांक– 19-12-17

प्रतिलिपि : उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.12.17

सरकार के संयुक्त सचिव
जल संसाधन विभाग।